न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 20 / 2016 वर्ष 2016

बउनवानीः—मु0 गीता पत्नि स्व0 कांग्रेस जाति कंजन निवासी चौथ का बरवाडा तह. चौथ का बरवाडा

बनाम

1. शक्ति सिंह पुत्र सुजान जाति कंजर निवासी चौथ का बरवाडा तह0 चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व मिसल संख्या 1483/2016 आदेश दिनांक 5.7.2016 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री रमेश चन्द गोलय वकील निगरानीकार

2. श्री विनोद अग्रवाल वकील अप्रार्थी संख्या,1,2

—: निर्णय :— दिनांक 17.10.2017

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 1483/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 5.7.2016 की पालना में दिनांक 18.7.2016 को जारी किये गये पटटा संख्या 53 को निरस्त करवाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त आदेश दिनांक 5.7.2016 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत प्रस्तुत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील अभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील निगरानीकार ने दौराने सुनवायी कथन किया कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अपनी मिसल संख्या 1483/16 दिनांक 5.7.2016 मे निर्णय पारित कर दिनांक 18.7.2016 को अप्रार्थी के पक्ष में पटटा संख्या 53 जारी किया है जो खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत द्वारा विधिवत तरीके से कोई एक माह का आपत्ति नोटिस जारी नही किया है तथा जो आपत्ति नोटिस जारी होना बताया है वह 15 दिवस का है जो ग्राम पंचायत रूल्स के विपरीत है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विवादित भूखण्ड का पटटा लेने वास्ते प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के यहॉ प्रस्तुत किया है जिसकी जानकारी होने पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थीया की साक्ष्य लिये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा दे दिया है इसलिए उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा नही रहा है ओर ना ही कब्जे संबंधी कोई दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष पेश किये है किन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा मानते हुए पटटा जारी कर दिया है इसलिए आदेश जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि उक्त विवादित भूखण्ड में प्रार्थीया का नल 30—40 वर्ष पूर्व से लगा हुआ है जिसका कनेक्शन प्रार्थीया के नाम है तथा उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग प्रार्थीया ही 30—40 वर्षो से करती आ रही है लेकिन प्रार्थीया को साक्ष्य पेश करने का मौका अदालत मातहत द्वारा नही दिया है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत द्वारा जिस जमीन का पटटा अप्रार्थी संख्या 1 को दिया हैं वह ग्राम पंचायत की जमीन नही होकर सड़क रास्ता की सरकारी भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 को पटटा देने का अधिकार नही है। यह कथन भी किया कि प्रार्थीया द्वारा आपत्ति अदालत मातहेत के समक्ष प्रस्तुत कर देने व दो पक्षकारों द्वारा अपना —अपना हॅक बतलाने पर प्रथम तो उक्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को पटटा देने का अधिकार न होकर सिविल न्यायालय को कब्जा संबंधी विवाद सुनने का अधिकार है तथा द्वितीय जो पटटा दिया गया है उसको नेगोनियशन ने न देकर बोली लगाकर देनी चाहिए। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पटटा देते समय ग्राम पंचायत रूल्स की पालना नही की है निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि विवादित भूखण्ड पर कितने वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है प्रार्थना पत्र में नही बतलाया है जो आवश्यक है तथा इसके संबंध में कब्जे संबंधी साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है लेकिन आस पास पडोंसियो से साक्ष्य नही ली गयी है और न बस्ती वालों से पूछा है

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इसलिए ग्राम पंचायत का निर्णय अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 5.7.2016 से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा निरस्त किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है क्योकि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 1483 में सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत तरीके से की जाकर दिनांक 5.7.2016 को निर्णय पारित किया है तथा पारित निर्णय की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 18.7.2016 को पटटा संख्या 53 जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है। यह कथन भी किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने मकान के सामने की खाली पडी सरकारी भूमि जिसका उपयोग अप्रार्थी स्वंय कर रहा है का पटटा बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2016 को ग्राम पंचायत में पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर विधिवत रूप से 15 दिवस का आपत्ति नोटिस कमांक 540 दिनांक 11.2.2016 को जारी किया है जिसकी पालना मे निगरानीकार श्रीमति गीता देवी द्वारा दिनांक 13.2.2016 को अपनी आपत्ति ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर निगरानीकार की आपत्ति का निस्तारण करते हुए विवादित भूमि का उप सरपंच एवं 5 वार्ड पंचों के द्वारा मौका दिखवाया जाकर विवादित भूमि प्रार्थी के मकान के सामने की मानते हुए व प्रार्थी का कब्जा मानते हुए विवादित भूमि का पटटा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि नही है। यह कथन भी किया कि पटटा पर अंकित सीमा में भी स्पष्ट अंकित है कि उत्तर में चरपेटा मे गीता पत्नि कांग्रेस कंजर का मकान है तथा दक्षिण में चरपेटा मे खाली सिसोरा चोक सुजान सिंह कजंर का एवं पूर्व में आम रास्ता बालेदार कंजर के मकान से राजपाल कजंर के मकान तक तथा पश्चिमी में पुख्ता मकान चरपेटा मे मिनाक्षी तिलोर पुत्री सुजान सिंह तिलोर जाति कंजर का मकान है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस स्थान का पटटा बनाया गया है व भूमि शक्तिसिंह के मकान के सामने है जिसमे निगरानी का कोई अधिकारी व कब्जा नही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी में किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि नही है इसलिए निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किया गया पटटा विधिवत रूप सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए यथा आपत्ति नोटिस जारी कर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण किया जाकर एवं मौका देखकर नियमानुसार शुल्क जमा करने के उपरान्त विधिवत निर्णय पारित कर जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रृटि प्रतीत नही होती है जिसकी पुष्टि वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से हो जाती है। इसके विपरीत वकील निगरानीकार द्वारा किये गये कथन के समर्थन मे ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने के कारण निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ। परिणाम स्वरूप निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बंर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(के0सी0 वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर